Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Anganbari Revision No.- 37/2022

Chandani Kumari ..... Petitioner.

Versus

The State of Bihar & Ors ..... Opposite Parties.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	11.08.2023	**आदेश** प्रस्तुत आँगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, अररिया द्वारा आँगनबाड़ी अपील सं0–62/2019–20 में दिनांक–09.09.2022 को पारित एवं ज्ञापांक–1142/जि0प्रो0 दिनांक–09.09.2022 द्वारा संसूचित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु एक पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्षों को सुना। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि पंचायत–रघुनाथपुर दक्षिण, वार्ड नं0–07 में सेविका/सहायिका पदों हेतु दिनांक–03.09.2019 से दिनांक–19.09.2019 एवं विस्तारित दिनांक–30.09.2019 तक प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में आवेदिका एवं 04 अन्य द्वारा दिनांक–09.09.2019 को आवेदन समर्पित किया गया। दिनांक–26.10.2019 को आयोजित आमसभा में इनकी आपत्ति के बावजूद विपक्षी सं0–05 (अनुराधा देवी) का सेविका पद हेतु चयन कर लिया गया। इस चयन के विरूद्ध आवेदिका द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, भरगामा के समक्ष परिवाद सं0–01/2019–20 दायर किया गया जिसमें उभय पक्षों की सुनवाई करते हुए आवेदिका के पक्ष में चयन–पत्र निर्गत करने का आदेश निर्गत किया गया। चयन पश्चात् ये निष्ठापूर्वक केन्द्र का संचालन करने लगी। मेधा सूची में आवेदिका प्रथम तथा विपक्षी सं0–05 तृतीय स्थान पर है। उक्त चयन के विरूद्ध विपक्षी सं0–05 द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, अररिया के समक्ष उक्त अपील दायर किया गया जिसमें पक्षकारों की सुनवाई करते हुए मनमाने ढ़ंग से इन्हें पेकपार पंचायत का निवासी एवं उक्त चयन के मार्गदर्शिका 2016 के आधार पर किया गया चयन बताते हुए इनके चयन को रद्द करते हुए विपक्षी को चयनित करने का अवैध आदेश पारित किया गया जो सही नहीं है। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। आवेदिका मेधा सूची में प्रथम स्थान पर है। यह कहना गलत है कि आवेदन के समय इनके द्वारा जाति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया था। प्रश्नगत केन्द्र के मैपिंग पंजी के क्रमांक–84 पर इनके ससुर मुनेश्वर मेहता, पिता–जनक मेहता का नाम दर्ज है। जिसपर वार्ड सदस्य एवं महिला पर्यवेक्षिका का हस्ताक्षर अंकित है। आवेदिका सपरिवार रघुनाथपुर दक्षिण पंचायत के वार्ड सं0–07 के स्थायी निवासी हैं जिसके साक्ष्य स्वरूप–वंशावली/आवासीय प्रमाण–पत्र/मुखिया का प्रमाण–पत्र/मुनेश्वर मेहता का शपथ पत्र/पुलिस अधीक्षक, अररिया द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र/शौचालय प्रमाण पत्र/मतदाता	

Web Copy. Not Official.

		सूची 2021 के क्रमांक 502 एवं 506 में दर्ज नाम/मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/गीता देवी के नाम से निर्गत राशन कार्ड वर्ष 2014 से 2019/मैपिंग पंजी/पिता के नाम निर्गत जाति प्रमाण पत्र/चयन पत्र आदि दस्तावेज से क्रमशः	
	लगातार 11.08.2023	प्रमाणित है कि आवेदिका पंचायत रघुनाथपुर दक्षिण, वार्ड सं0–07 की स्थायी निवासी हैं। निम्न न्यायालय द्वारा उक्त चयन को मार्गदर्शिका 2016 के आधार पर बताया जाना उनके मनमाने रवैये को दर्शाता है। जबकि उक्त विज्ञापन वर्ष 2019 में विभागीय पत्रांक–286 दिनांक–27.05.2019 के बाद का है। उल्लेखनीय है कि आवेदन के समय इनके द्वारा पति के नाम का जाति प्रमाण लगाया गया था किन्तु आमसभा के समय चाँदनी कुमारी, पिता–रूपलाल मेहता, ग्राम–गम्हरिया, प्रखंड–भरगामा, जिला–अररिया के नाम निर्गत जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे नजरअंदाज करते हुए मनमाने ढ़ंग से विपक्षी सं0–05 का चयन कर लिया गया। वर्ष 2019 में निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी प्रारंभिक परिवाद सुनने हेतु प्राधिकृत है जबकि निम्न न्यायालय ने इसकी गलत व्याख्या की है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, अररिया ने विभागीय पत्र की धज्जियाँ उड़ाते हुए पदीय गरिमा के प्रतिकूल आदेश पारित किया गया है जो हस्तक्षेप के योग्य है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, भरगामा द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार अंतर्गत न्यायोचित एवं विधि सम्मत् है। इस प्रकार इनकी ओर से पुनरीक्षण वाद स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ विपक्षी सं0–05 (अनुराधा देवी) के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत वाद तथ्यों के आधार पर पोषणीय नहीं है। आमसभा में विपक्षी का चयन किया गया था। आवेदिका द्वारा Online आवेदन में अपने पति के नाम जाति प्रमाण पत्र दिया गया था। फलतः उनका चयन नहीं हुआ। आवेदिका के परिवार का नाम पैकपार पंचायत के वार्ड सं0–10 के मतदाता सूची क्रमांक 286, 287 एवं 289 पर दर्ज है तथा उनकी सास का राशन कार्ड सं0–10070030021020800122 उक्त पंचायत का है। आवेदिका का दो शैक्षणिक प्रमाण पत्र है जिसमें भिन्न जन्मतिथि है। आवेदिका का दावा निराधार है। इस प्रकार इनकी ओर से पुनरीक्षण वाद अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, अररिया ने पत्रांक–1535 दिनांक–26.11.2022 द्वारा प्रत्युत्तर समर्पित करते हुए स्पष्ट किया है कि दिनांक–26.06.2019 के आमसभा में मार्गदर्शिका 2019 के आलोक में प्रश्नगत केन्द्र पर विपक्षी का सेविका पद पर चयन किया गया। विपक्षी द्वारा आवेदन के समय जाति प्रमाण पत्र अपने पति के नाम का दिया गया था। निदेशालय पत्रांक–721 दिनांक–28.01.2020 में स्पष्ट है कि Online भरे गये आवेदन के आधार पर निर्णय लेना सुनिश्चित किया जाय। इसी आधार पर आवेदिका का चयन नहीं किया गया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, भरगामा के समक्ष दायर परिवाद पत्र पर उभय पक्षों की सुनवाई करते हुए विपक्षी सं0–05 का चयन रद्द करते हुए आवेदिका के चयन का आदेश पारित किया गया। आवेदिका के पति/ससुर/सास का नाम पेकपार पंचायत के मतदाता सूची वार्ड सं0–10 में दर्ज है। इनके सास का राशन कार्ड पेकपार पंचायत से निर्गत है जहाँ से वे लाभ प्राप्त कर रही है। उपरोक्त बिंदुओं पर विचार करते हुए आवेदिका का	

Web Copy, Not Official.

		चयन रद्द किया गया है। उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों/दस्तावेजों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि आवेदिका को रघुनाथपुर दक्षिण पंचायत का निवासी नहीं मानते हुए पेकपार पंचायत का निवासी तथा आवेदन के समय पति के नाम का जाति प्रमाण पत्र संलग्न करने के आधार पर इन्हें चयन से वंचित किया गया है, जबकि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, भरगामा ने अपने आदेश ज्ञापांक–06 दिनांक–02.01.2020 में यह पाया है कि आमसभा तिथि–26.10.2019 क्रमशः	
	लगातार 11.08.2023	को आवेदिका द्वारा अपने पिता के नाम निर्गत जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया तथा पिता और पति एक ही जाति के हैं। आवेदिका का नाम मेधा सूची क्रमांक–01 पर दर्ज है। विपक्षी सं0–05 का नाम मेधा सूची क्रमांक–03 पर अंकित है। आवेदिका द्वारा दिनांक–26.10.2019 के आमसभा में पिता के नाम जाति प्रमाण पत्र समर्पित करना प्रमाणित है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का प्रस्तुत मामले में विभागीय पत्रांक–721 दिनांक–28.01.2020 का उल्लेख अप्रासंगिक प्रतीत होता है। आवेदिका द्वारा समर्पित उपर्युक्त सभी दस्तावेजों यथा–कार्यालय अंचल अधिकारी, भरगामा द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं0–C/18/02324, निवास प्रमाण पत्र सं0–R/18/02266 दोनों दिनांक–30.08.2018 एवं पुलिस अधीक्षक, अररिया के ज्ञापांक–3969 दिनांक–24.06.2015 द्वारा आवेदिका के ससुर मुनेश्वर मेहता के नाम निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र तथा पोषक क्षेत्र के मैपिंग पंजी में नाम दर्ज होने से उनके रघुनाथपुर दक्षिण पंचायत की निवासी होने की पुष्टि होती है। उनकी सास गीता देवी के नाम रघुनाथपुर दक्षिण पंचायत से निर्गत राशन कार्ड सं0–10070030014016400014 है जो विपक्षी द्वारा समर्पित राशन कार्ड से सर्वथा भिन्न है। निम्न न्यायालय ने अपने आदेश में यह उल्लेख किया है कि ''उक्त चयन सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2016 के आधार पर हुआ था जिसमें बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, भरगामा द्वारा सुनवाई कर आदेश पारित किया जाना नियमसंगत नहीं है। निम्न न्यायालय का उक्त निष्कर्ष तथ्यों से परे, आधारहीन एवं मनमाने रवैये का परिचायक है जो खंड़ित होने योग्य है। जबकि प्रश्नगत केन्द्र पर चयन की प्रक्रिया वर्ष 2019 में निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में संपन्न की गई है तो उसे वर्ष 2016 के अनुरूप बताते हुए आदेश पारित करना सर्वथा गलत है। अतः उपर्युक्त के आलोक में निम्न न्यायालय आदेश को विधिसम्मत् एवं मार्गदर्शिका के अनुरूप नहीं पाते हुए निरस्त किया जाता है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, भरगामा द्वारा पारित आदेश को संपुष्ट करते हुए निम्न न्यायालय को निदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर आवेदिका चाँदनी कुमारी को उक्त केन्द्र पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, भरगामा के आदेशानुसार पुनः सेविका पद पर बहाल करना सुनिश्चित करें। चयनमुक्ति अवधि में आवेदिका को किसी प्रकार का मानदेय भुगतेय नहीं होगा। पुनरीक्षण आवेदन स्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, अररिया को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।	

Web Copy, Not Official.

		लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy. Not Official.